न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 57/2024(GCMS : 2024/77)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक. लि., क्षेत्रीय कार्यालय–तृतीय तल, जे.एस.ई.एल.बिल्डिंग मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान – 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज सिंह

बनाम

1. **दीपक ब्रदर्स (प्रतिनिधित्व मालिक दीपक धींगड़ा पुत्र श्री देवरतन धींगडा)**
2. **दीपक धींगड़ा** पुत्र श्री देवरतन धींगड़ा
3. **संजय कुमार** पुत्र श्री देवरतन धींगड़ा
4. **सोनम धींगड़ा** पुत्र श्री दीपक धींगड़ा

पता 124 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, राजस्थान
दूसरा पता – प्लॉट नम्बर 124, इस्ट नॉर्थ–सी श्रीगंगानगर, राजस्थान
तीसरा पता – प्लॉट नम्बर 8, चक 4 जैड, मुरब्बा नम्बर 62, किला नं. 12, कालियां रोड़, श्रीगंगानगर राजस्थान
चौथा पता– राजपुरिया फंटा, चक 4 जैड, मुरब्बा नम्बर 62, किला नम्बर 12, कालिया रोड़, श्रीगंगानगर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.06.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता मनोज अरोड़ा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण दीपक ब्रदर्स, दीपक धींगड़ा, संजय कुमार एवं सोनम धींगड़ा को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 27.11.2021 को 1.90/– करोड़ रूपये एवं दिनांक 14.12.2021 को 30,22,222/– रूपये के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 03.08.2023 तक की बकाया राशि 2,11,42,942/– रूपये थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थीगण दीपक धींगड़ा एवं संजय कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति 124 जी ब्लॉक, श्रीगांगनगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 50 वर्गफीट),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण दीपक ब्रदर्स (प्रतिनिधित्व मालिक दीपक धींगड़ा), दीपक धींगड़ा, संजय कुमार एवं सोनम धींगड़ा को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 27.11.2021 को 1.90/– करोड़ रूपये एवं दिनांक 14.12.2021 को 30,22,222/– रूपये कुल राशि 2,20,22,222/– (दो करोड़ बीस लाख बाईस हजार दो सौ बाईस) की स्वीकृति प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण दीपक धींगड़ा एव संजय कुमार ने अपनी **अचल सम्पत्ति 124 जी ब्लॉक, श्रीगांगनगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 50 वर्गफीट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.08.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। धारा 13(2) के रजिस्टर्ड डाक से तामील न होने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थीगण दीपक धींगड़ा एवं संजय कुमार की अचल सम्पत्ति 124 जी ब्लॉक, श्रीगांगनगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 50 वर्गफीट),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.10.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 19.10.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.10.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन ट्रैक प्रार्थी बैंक को प्राप्त न होने के कारण, प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों दी इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 19.12.2023 को प्रकाशित करवाया है जिसके परिणामस्वरूप चस्पा रिपोर्ट एवं समाचर पत्रों की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों दीपक धींगड़ा एवं संजय कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों दीपक धींगड़ा एवं संजय कुमार **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति 124 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 50 वर्गफीट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला पुलिस
श्री गंगानगर